कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बडकोट (उत्तरकाशी)
Office of the Executive Engineer Construction Division PWD Barkot (Uttarkashi)

E-Mail eepwdbarkot@rediffmail.com **Fax Tel No 01375224828**

पत्रांक 1844 / 4 भू० अ० दिनांक 6 /09/ 2016

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
अपर यमुना वन प्रभाग
बड़कोट।

विषयः— **जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत कुड कोटला मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.0415 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग के प्रत्यावर्तन करने विषयक अनुपालन आख्या प्रेषण के सम्बन्ध में प्रस्ताव संख्या एफ0पी0 / यू0के0 / रोड / 9662 / 2015**

सन्दर्भः— **अपर सचिव उत्तराखण्ड शासन का पत्रांक 75 / X—4—16 / 1 (14) / 2016 वन एवं पर्यावरण अनुभाग—4 देहरादून दिनांक 29 फरवरी 2016।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रस्ताव पर सन्दर्भित पत्र द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो की बिन्दुवार अनुपालन आख्या निम्नलिखित है।

1. वन विभाग के पक्ष में प्रत्त्रावर्तित भूमि के बदले 6.083 है0 सिविल सोयम भूमि पर क्षमिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु प्रभागीय वनाधिकारी अपर यमुना वन प्रभाग बड़कोट के द्वारा पत्रांक 2270 / 12—1 दिनांक 18.3.2016 मांगी गयी धनराशि (डिमाण नोट) रू0 1473510.00 यू0टी0आर0 नम्बर U000000066690360 दिनांक 10.05.2016 खाते में जमा करा दी गयी है तथा उक्त भूमि को जिलाधिकारी उत्तरकाशी के पत्रांक 4095 / ग्यारह—27 (2016—17 दिनांक 7.6.2016 द्वारा दी गयी स्वीकृति के पश्चात वन विभाग के पक्ष में दाखिला खारिज कर दिया गया है। (संलग्न 1, 2 व 3)
2. प्रस्तावित स्थल के आस पास रिक्त पडे स्थानो पर प्रभागीय वनाधिकारी अपर यमुना वन प्रभाग बड़कोट द्वारा मांगी गयी डिमाण्ड नोट की धनराशि रू0 1632982.00 यू0टी0आर0 नम्बर U000000066690360 द्वारा दिनांक 10.05.2016 द्वारा खाते में करा दी गयी है।
3. माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202 / 1995 दिनांक 5.2.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य एन0पी0वी0 की निर्धारित धनराशि डिमाण्ड नोट के अनुसार रू0 2570068.00 यू0टी0आर0 नम्बर U000000066690360 दिनांक 10.05.2016 द्वारा खाते में जमा करा दी गयी है।

4. प्रमाणित किया जाता है कि सक्षम स्तर से यदि एन0पी0वी0 की दरों में बढोत्तरी होती है तो बढी हुई धनराशि का भुगतान लो0नि0वि0 बड़कोट द्वारा जमा की जायेगी।

5. सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तो की अनुपालन आख्या म्यूटेशन आख्या की कार्यवाही तथा समस्त देयको के भुगतान का चालान आदि आन लाईन अपलोड कर दिया गया है।

6. शुद्ध वर्तमान मूल्य एन0पी0वी0 तथा क्षतिपूरक वृक्षारोपण तथा आसपास रिक्त पडे स्थानो पर वृक्षारोपण हेतु कारपोरेशन बैक (भारत सरकार के उपक्रम) ब्लाक-।। भूतल सी0जी0 ओ0 काम्पलैक्स फेज-1 लोधी रोड नाई दिल्ली 110003 के शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधियो प्रति पूति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय खाते में यू0टी0आर0 नम्बर U00000066690360 दिनांक 10.05.2016 द्वारा जमा करा दी गयी है। संलग्न यू0टी0आर0

7. प्रमाणित किया जाता है। कि प्रस्तवित निर्माण कार्यो के लिए जनपद कार्यबल की सस्तुतियों एवं भू-वैज्ञानिक के सुझावों का कडाई से अनुपालन किया जायेगा।

8. वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखो/प्रमाण-पत्र की छाया प्रति पुनः संलग्न की जा रही है। प्रस्ताव की डार्ड कापी में उक्त प्रमाण-पत्र पूर्व में ही संलग्न है। संलग्प प्रमाण-पत्र।

प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो की अनुपालन आख्या मय संलग्नक आपको तीन प्रतियों में प्रेषित की जा रही है। अनुरोध कि उक्त अपुपालन आख्या अपनी संस्तुति सहित प्रमुख वन संरक्षक नोडल अधिकारी वन भूमि हस्तान्तरण इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी देहरादून को भेजने का कष्ट करेगें।

संलग्नः- यथोपरि

(ई0वी0बी0 भट्ट)
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 बडकोट

:: आदेश ::

अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 बड़कोट ने अपने पत्र संख्या 521/4 भू0अ0 दिनाक 10.03.2016 के द्वारा अवगत कराया गया है, कि जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत कुड कोटला मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.0415 है0 भूमि के बदले क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 6.083 है0 भूमि वन विभाग के पक्ष हस्तान्तरण/नामान्तरित किये जाने का अनुरोध किया गया है ।

उपरोक्त के सम्बन्ध में तहसीलदार, बड़कोट द्वारा अपने पत्र संख्या मेमो/र0का0/क्षतिपूरक वृक्षारोपण पत्रा0/2011-12 दिनांक 11 मई, 2016 के द्वारा अवगत कराया गया है, कि जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत कुड कोटला मोटर मार्ग निर्माण हेतु ग्राम कोटला की वर्तमान नॉन ज्येड.ए. खतौनी फसली बर्ष 1420 से 1425 के खाता संख्या-24 के खसरा संख्या 23/2.758 है., 88/0.314 है0, 91/0.025 है0, 112/1.003 है0, 213/0.252 है0, 236म0/0.417 है0, एवं 271/1.314 है0 कुल रक्वा 6.083 है0 सिविल सोयम भूमि उत्तराखण्ड सरकार के स्वामित्व की भूमि वर्ग-9 (3)ड. की भूमि प्रस्तावित की गयी है । प्रस्तावित भूमि में किसी प्रकार का ऐतिहासिक स्थल, धार्मिक स्थल, स्मारक, मन्दिर, मस्जिद, शामशान घाट, पनघट आदि मुख्य स्थल नहीं है और उक्त भूमि को किसी अन्य प्रयोजन हेतु कृषि आवंटन नहीं है । प्रस्तावित भूमि का नक्शा, खसरा, खतौनी, इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है ।

शासनादेश संख्या 397/XVIII(II)/2012 दिनांक 29 फरवरी, 2012 (पताका "स") के अनुसार वन भूमि हस्तान्तरण के मामलों में अब उतनी भूमि दी जानी है जितनी वन भूमि योजनओं के लिए प्राप्त की जायेगी । उक्त शासनादेश में यह भी उल्लेख किया गया है, कि ऐसी योजनाओं के लिए जिनमें भारत सरकार द्वारा बर्ष 2009 के बाद सैद्वान्तिक अथवा अंतिम स्वीकृति इस शर्त के साथ निर्गत की गयी है, कि क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण दोगुने अवनत गैर जमीदारी विनाश (सिविल सोयम भूमि) पर किया जाएगा तथा भारत सरकार को वर्तमान तक प्रेषित किये जा चुके ऐसे प्रस्ताव जिसमें दोगुनी अवनत वन भूमि पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की योजना के साथ वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव भेजा गया है। उनके लिये किये प्रस्ताव के अनुरूप ही दोगुनी भूमि चिन्हित व हस्तान्तरित की जाय।

अतः तहसीलदार, बड़कोट से प्राप्त आख्यानुसार ग्राम कोटला पट्टी बनाल तहसील बड़कोट में उत्तराखण्ड सरकार के स्वामित्व की भूमि वर्ग-9 (3)ड. खाता संख्या 24 खसरा संख्या 23 रक्वा 2.758 है0, 88 रक्वा 0.314 है0, 91 रक्वा 0.025 है0, 112 रक्वा 1.003 है0, 213 रक्वा 0.252 है0, 236 म. रक्वा 0.417 है0 एवं खसरा सं0 271 रक्वा 1.314 है0 कुल रक्वा 6.083 है0 भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित की गयी है । उक्त प्रस्तावित सिविल सोयम भूमि राजस्व अभिलेखों में प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, के पक्ष में भारत सरकार की सैद्वान्तिक स्वीकृति के बिन्दु संख्या के अनुसार हस्तान्तरित/नामान्तरित करने की स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है ।

(दीपेन्द्र कुमार चौधरी)
जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

कार्यालय जिलाधिकारी, उत्तरकाशी ।

संख्या 4095 /ग्यारह-27-(2016-17) दिनांक 7 जून, 2016

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- उप जिलाधिकारी, बड़कोट/तहसीलदार बड़कोट ।

2- प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट।

3- अधिशासी अभियन्ता, नि0ख0लो0नि0वि0 विभाग बड़कोट।

जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

1420 फ० से 1425 फ० तक

भूलेख प्रपत्र सं० प-11

उद्धरण NON ZA खतौनी मौजा कोटला पट्टी-कमल तहसील-बड़कोट जिला-उत्तरकाशी

खाते के बाहर की कृषि योग्य भूमि

24	उत्तराखण्ड सरकार	1	0056	जिलाधिकारी महोदय उत्तरकाशी के आदेश सं० 4095/ग्यारह-
	वर्ग 9 (3) ड़ %	6	0016	27 (2016-17) दि० 7 जून 2016 के अनुसार ग्राम कोटला की
		✓23	2.758✓	NON ZA खतौनी खाता सं० 24 के उत्तराखण्ड सरकार वर्ग
		X	X	9(3) ड़ के खसरा नं० 23/2.758, 88/0.314, 91/0025,
		X	X	112/1.003, 213/0.252, 236म०/0.417 एवं खसरा नं०
		✓88	0.314	271/1.314 कुल रकबा 6.083 है० भूमि क्षतिपूरक
		✓91	0025	वृक्षारोपण हेतु प्रभागीय वनाधिकारी अपर यमुना
		✓112	1.003	वन प्रभाग के पक्ष में हस्तान्तरित/नामान्तरित किया,
		X	X	तद्नुसार अमलदरामद किया,
		X	X	
		✓213	0.252	
		✓236	0627	राजस्व निरीक्षक
		X	X	
		X	X	
		✓271	1.314	
		273	0013	
		X	X	
		X	X	
		2767	0004	
		2770	0.221	
	खाते का योग -	412	81.672	सत्य प्रतिलिपि

राजस्व उप निरीक्षक

GEOREFERENCE MAP OF PROPOSED CA LAND KOTLA CIVIL SOYAM (Area - 6.083 ha)
FOR KUD TO KOTLA MOTOR ROAD (6 Km.) RAWAIN RANGE, UPPER YAMUNA BARKOT

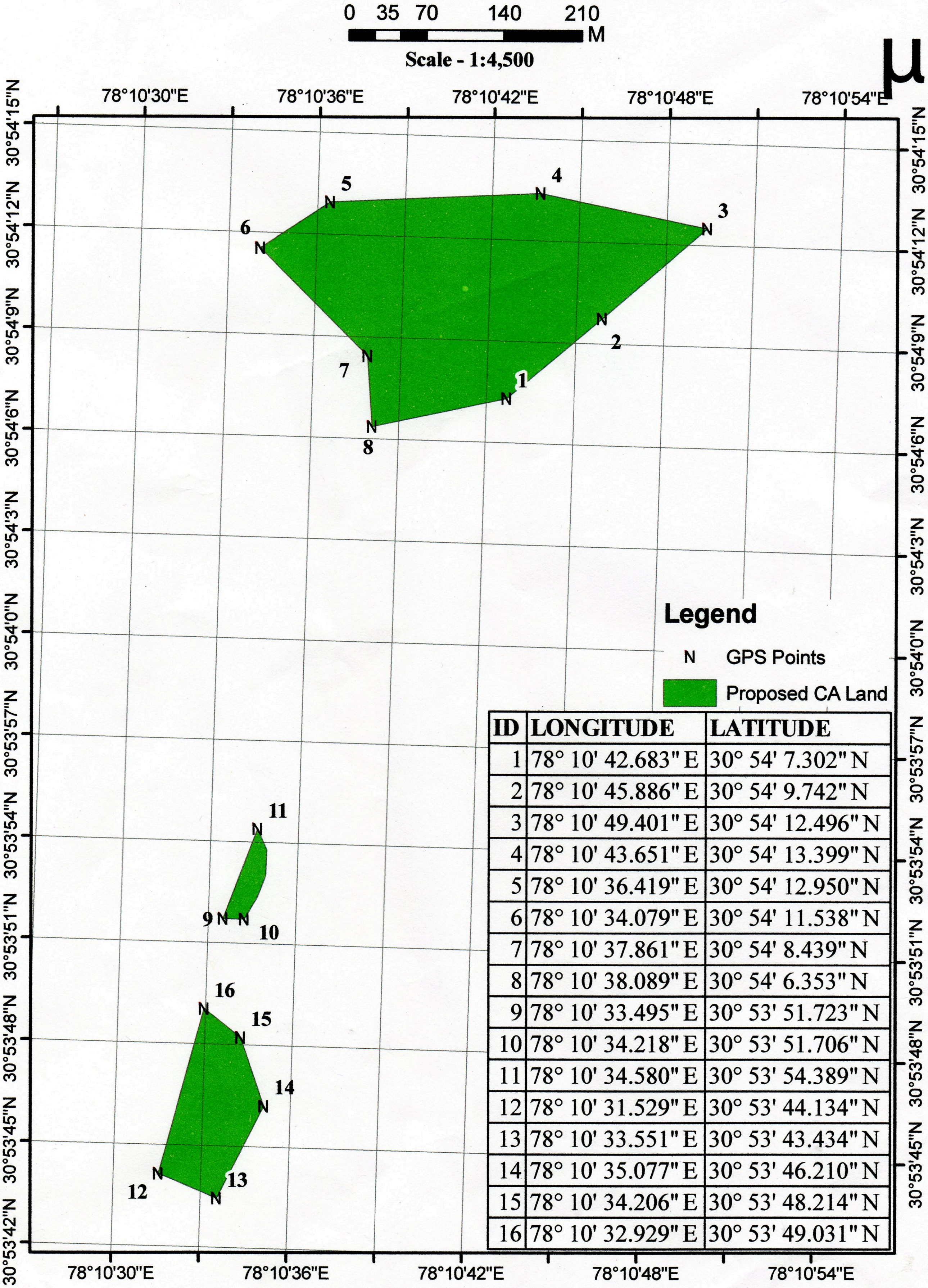

ID	LONGITUDE	LATITUDE
1	78° 10' 42.683" E	30° 54' 7.302" N
2	78° 10' 45.886" E	30° 54' 9.742" N
3	78° 10' 49.401" E	30° 54' 12.496" N
4	78° 10' 43.651" E	30° 54' 13.399" N
5	78° 10' 36.419" E	30° 54' 12.950" N
6	78° 10' 34.079" E	30° 54' 11.538" N
7	78° 10' 37.861" E	30° 54' 8.439" N
8	78° 10' 38.089" E	30° 54' 6.353" N
9	78° 10' 33.495" E	30° 53' 51.723" N
10	78° 10' 34.218" E	30° 53' 51.706" N
11	78° 10' 34.580" E	30° 53' 54.389" N
12	78° 10' 31.529" E	30° 53' 44.134" N
13	78° 10' 33.551" E	30° 53' 43.434" N
14	78° 10' 35.077" E	30° 53' 46.210" N
15	78° 10' 34.206" E	30° 53' 48.214" N
16	78° 10' 32.929" E	30° 53' 49.031" N

J.E

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
बड़कोट (उत्तरकाशी)

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
बड़कोट (उत्तरकाशी)

DIGITAL MAP OF PROPOSED CA LAND KOTLA CIVIL SOYAM (Area - 6.083 ha) FOR KUD TO KOTLA MOTOR ROAD (6 Km.) RAWAIN RANGE, UPPER YAMUNA BARKOT

0 0.5 1Km

Scale - 1:50,000

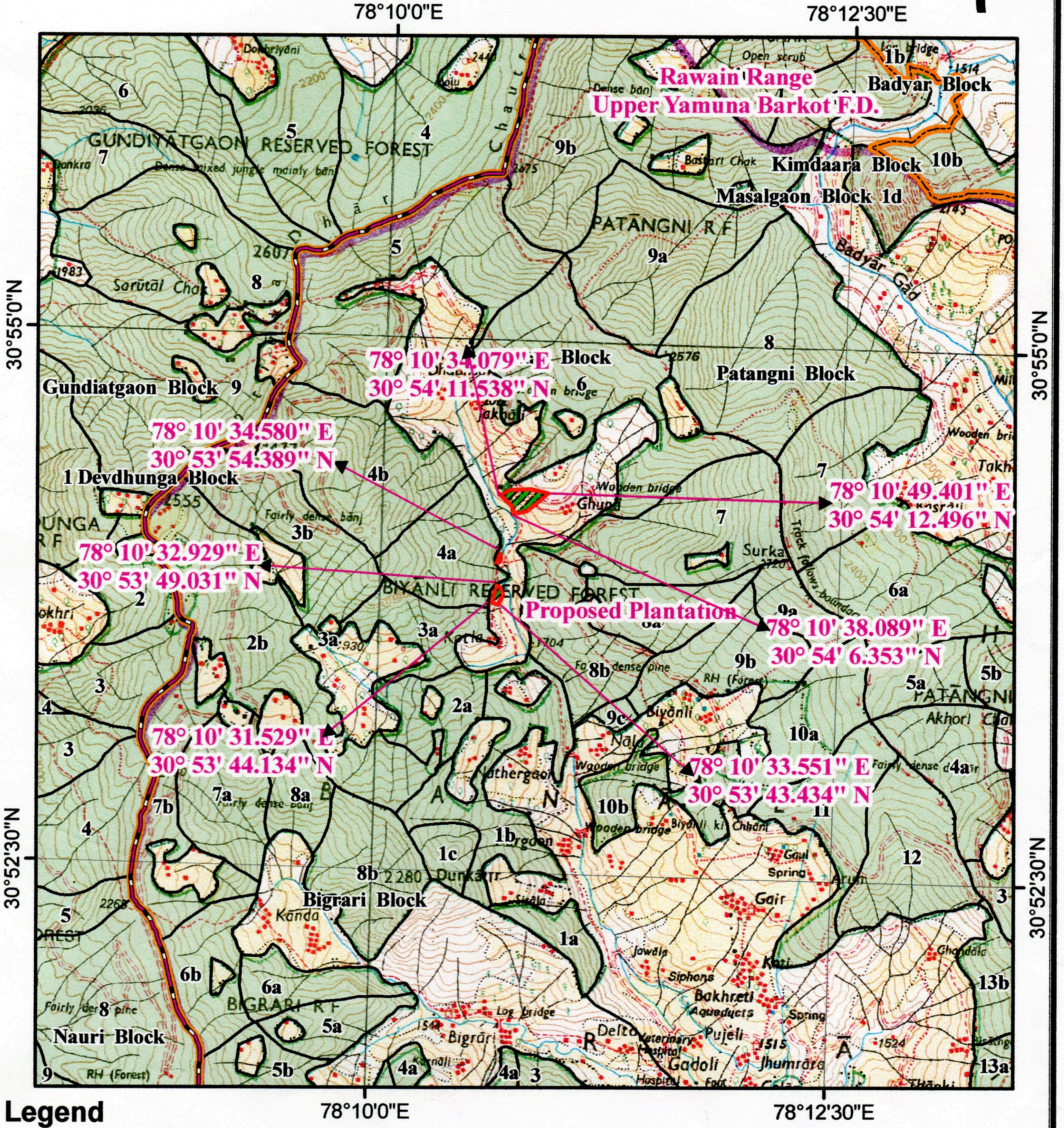

Legend

- Proposed Plantation
- Reserve Forest
- Reserve Forest Boundary
- Forest Range Boundary
- Forest Division Boundary

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
बड़कोट (उत्तरकाशी)

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
बड़कोट

संख्याः 75 /X-4-16/1(14)/2016

प्रेषक,

मनोज चन्द्रन,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन भूमि हस्तातरण, इन्दिरा नगर,
फारेस्ट कालोनी, देहरादून।

वन एवं पर्यावरण अनुभाग-4 देहरादूनः दिनांकः 29 फरवरी, 2016

विषयः जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत कुद-कोटला मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.0415 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-2052/1जी-FP/UK/ROAD/9662/2015, दिनांक 15 जनवरी, 2016 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय **जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत कुद-कोटला मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.0415 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने की सैद्धान्तिक स्वीकृति,** भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के शासनादेश संख्या एफ0न0-11-09/98-एफ0 सी0, दिनांक 13 फरवरी, 2014 एवं आपदाग्रस्त जनपदों हेतु 5.00 हे0 तक वनभूमि हस्तान्तरण सम्बन्धी आदेश दिनांक 18 दिसम्बर, 2015 में निहित प्रावधानों द्वारा प्रदत्त प्राधिकार का प्रयोग करते हुए अद्योलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं-

1. प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 6.083 है0 सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा तथा छः माह में आरक्षित/संरक्षित वन भूमि घोषित किया जायेगा।
2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंसोधित) जमा की जायेगी।
3. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995, दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।
4. प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन0पी0वी0 की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।
5. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तो की अनुपालन आख्या, म्यटेशन की कार्यवाही तथा समस्त देयकों के भुगतान का चालान आदि ऑन-लाईन अपलोड किया जायेगा।

6. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0सं0–566 एवं भारत सरकार पत्र सं0 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) तथा दूसरी सभी निधियाँ प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकारण के तदर्थ निकाय कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम), ब्लाक–11 भूतल सी0जी0 ओ0 काम्पलैक्स, फेज–1, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003 में जमा करने के उपरान्त ही पावती की छायाप्रति, जमा की गई धनाराशि का बैंक ड्राफ्ट/चेक की छायाप्रति सहित प्रस्ताव के संदर्भ में अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गई धनराशि का मदवार विवरण अर्थात एन0पी0वी, क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्रस्तावित स्थल के आस–पास वृक्षारोपण तथा अन्य हेतु जमा धनराशि का विवरण, दिया गया हो) उपलब्ध कराये जाने के पश्चात ही निर्गत स्वीकृति मान्य होगी।
7. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू–वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
8. प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखों/प्रमाण पत्रों को उपलब्ध कराया जाना होगा।
9. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार, पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।
10. उपरोक्त शर्तो के अनुपालन पश्चात प्रकरण में विधिवत् स्वीकृति निर्गत की जायेगी।

भवदीय,

(मनोज चन्द्रन)
अपर सचिव।

संख्या: 75 (1)/X-4-16/1(14)/2016, तददिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, एफ0आर0आई0, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।
4. वन संरक्षक, यमुना वृत्त, देहरादून।
5. प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, बढ़कोट।
6. अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बढ़कोट।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आर0के0तोमर)
संयुक्त सचिव।

कार्यालय
प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट,

फोन/फैक्स नं0- 01375-224233
E-Mail dfobarkot@Gmail.com
वन मित्र कॉल सेन्टर- 9208008000

पंत्राक- 355 /12-1, दिनांक,बड़कोट,अगस्त, 08 ,2016।

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरा नगर, फॉरेस्ट कॉलोनी, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

विषयः- **वन भूमि हस्तान्तरण से सम्बन्धित समस्त प्रकरणों में सिविल सोयम भूमि का वन विभाग के पक्ष में नामान्तरण/हस्तान्तरण के सम्बन्ध में।**

सन्दर्भः- **आपके कार्यालय का पत्रांक- 3191/1जी0-2366 दिनांक- 26.04.2016।**

महोदय,

कृपया अपने उपरोक्त सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करें। अवगत कराना है कि इस वन प्रभाग के अन्तर्गत कुड कोटला मोटर मार्ग निर्माण हेतु लो0नि0वि0, बड़कोट को 3.0415 है0 हस्तान्तरण की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के ऐवज में जिलाधिकारी, उत्तरकाशी द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दोगुने सिविल सोयम भूमि 6.083 है0 वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित व नामान्तरित किया गया है। जिसका कब्जा प्रमाण पत्र निम्न प्रकार प्रेषित किया जा रहा है-

<u>कब्जा प्रमाण पत्र</u>

प्रमाणित किया जाता है कि जिलाधिकारी, उत्तरकाशी के आदेश सं0-4095/ग्यारह-27(2016-17) दिनांक- 07.06.2016 से तहसील बड़कोट के अन्तर्गत ग्राम- कोटला, पट्टी- बनाल में उत्तराखण्ड सरकार के स्वामित्व की वर्ग-9(3) ड. खाता संख्या-24, खसरा संख्या-23 रक्वा- 2.758 है0, 88 रक्वा- 0.314 है0, 91 रक्वा- 0.025 है0, 112 रक्वा- 1.003 है0, 213 रक्वा- 0.252 है0, 236म. रक्वा- 0.417 है0 एवं खसरा संख्या- 271 रक्वा- 1.314 है0 कुल रक्वा- 6.083 है0 की भूमि दिनांक- 19.07.2016 को वन विभाग, राजस्व विभाग तथा याचक विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को साथ में रखकर मौके पर वन विभाग के पक्ष में कब्जा प्राप्त किया गया है। जिसके नक्सा, खसरा एवं मौके पर की गयी कार्यवाही की रिपोर्ट संलग्न है।

<u>संलग्नक- उपरोक्तानुसार</u>

भवदीय

प्रभागीय वनाधिकारी,
अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट।

प्रतिलिपिः- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, बड़कोट को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः- जिलाधिकारी, उत्तरकाशी को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः- वन संरक्षक यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित

प्रतिलिपिः- वन क्षेत्राधिकारी, रंवाई राजि को उनके पत्रांक- 99/12-1 दिनांक- 23.07.2016 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी,
अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट।

Co 2Hed babu

Annexure-1

FORM-I
(For linear Projects)
Government of Uttarakhand
Office of the District Collecor Uttarkashi.

Name of Project- Kurh to Kotla Motor Road.
No.....34............ Dated..27-12-2014

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the ministry of Environment and forests (FoEF) Government of india's letter No 11-9/98-FC (pt-) dated 3 rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of forest Rights) Act. 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th february 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **3.0415** hectares of forest land proposed to be diverted in favour of **Construction Division P.W.D. Barkot** for Construction of **Kurh to Kotla Motor Road** in Uttarkashi District falls within jurisdiction of **Kotla** village in **Barkot** tehsils.

It is further certified that:

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **3.0415** hectares of the forest area proposed for diversion a copy of records of all consultations and meeting of the forest Rights committee (s) Gram sabha (s) Sub-Division Level committee (s) and the District level committee are enclosed as annexure 23 to 23.2 annexure.

(b) The diversion of forest land for facilities managed by the Governments as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the gram sabhas have given their consent to it.

(c) The proposal does not involve recognised rights of primitive Tribal groups and preagricultural communities.

Encl: As above

P.C Attested

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
बडकोट (उत्तरकाशी)

(C.Ravishankar)
District Magistrate,
Uttarkashi.

ANNEXURE

OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE
DISTRICT Uttarkashi(U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Uttarkashi district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr. C. Ravishankar I.A.S District Magistrate Uttarkashi on date 09-12-2014 at Uttarkashi in which application claiming rights in forest land area measuring **3.0415** hect for the construction of **Kurh to Kotla Motor Road** of forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of **Barkot sub division** were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place; Uttarkashi
Dated: 27-12-14

(C. Ravishankar)
District Magistrate-cum-Chairman
District Level Committe
Uttarkashi.

P.C. Attested

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
बड़कोट (उत्तरकाशी)